दिनांक-05.02.2021 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 29 वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः- मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-मिशन निदेशक बि.प्र.सु.मि.सो., सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव विधि विभाग, महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि के रूप में बिपार्ड के संयुक्त निदेशक श्री राजेश कुमार उपस्थित रहे । बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए ।

कार्यावली बिन्दुः-01

दिनांक-18.11.2020 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

कार्यावली बिन्दुः-02

दिनांक-18.11.2020 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन को सम्पुष्ट किया गया ।

कार्यावली बिन्दुः-03

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यय के आकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 का रू. 128,53,64,736.00 (एक सौ अट्ठाईस करोड़ तिरपन लाख चौंसठ हजार सात सौ छत्तीस) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट तैयार किया गया है **(अनुलग्नक -3)**। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक-1665, दिनांक-20.10.2020 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है।

विगत वित्तीय वर्षों में विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्राक्कलन का विवरण निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट/पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	प्राप्त सहा. अनु.	अद्यतन व्यय	अवशेष राशि
2018-19	3104- वेतन	691315674.00	470000000.00	पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा रही है।	
	3106-गैर वेतन	854968700.00	322962080.00		
	कुल	1546284374.00	792962080.00		
2019-20	3104- वेतन	1217462472.00	909700000.00	909700000.00	0.00
	3106-गैर वेतन	196168700.00	120000000.00	119979966.73	20033.27
	कुल	1413631172.00	1029700000.00	1029679966.73	20033.27
2020-21	3104- वेतन	1292900000.00	712900000.00	686114382.50	26785617.50
	3106-गैर वेतन	140000000.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1432900000.00	712900000.00	686114382.50	26785617.50
2021-22	3104- वेतन	1152366036.00			
	3106-गैर वेतन	132998700.00			
	कुल	1285364736.00			

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रू. 128,53,64,736.00 (एक सौ अट्ठाईस करोड़ तिरपन लाख चौंसठ हजार सात सौ छत्तीस) के बजट प्राक्कलन पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु -04

सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली एवं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के क्रियान्वयन को उन्नत बनाने एवं ससमय सेवाओं को प्रदायगी में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बिहार विकास मिशन के माध्यम से I.T. Expert, MIS Expert, Monitoring & Evaluation Expert एवं H.R.M.S. Expert की सेवाएं प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाओं की ससमय प्रदायगी, कार्यान्वयन में सुधार एवं इससे संबंधित सॉफ्टवेयर के विभिन्न पहलूओं के आकलन एवं मूल्यांकन की सतत आवश्यकता रहती है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की पूरी प्रणाली ऑनलाइन है और बेहतर MIS इसकी प्रभावी अनुश्रवण में सहायता प्रदान करती है। परिवादियों की विविध प्रकार की समस्याओं, उसके समाधान के संदर्भ में की गई कार्रवाई, लोक प्राधिकारों की उपस्थिति, परिवादियों को सुनवाई का अवसर, वास्तविक निवारण का दर तथा परिवादों के निष्पादन में नागरिकों का overall satisfaction level के analysis की नियमित तौर पर आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इस अधिनियम के संचालन के लिए समाधान कॉल सेंटर में प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रकृति तथा उस पर पूर्व में किए गए कार्रवाईयों की सूक्ष्मता से विश्लेषण किए जाने से systemic reforms किए जा सकते हैं। बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली में सरकारी सेवकों के शिकायतों से संबंधित मामलों के आँकड़ों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत नियमित सरकारी सेवकों के सेवापुस्त, पे-रौल एवं अवकाश से संबंधित विवरणी को Digitised करते हुए ऑनलाइन किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मिशन कार्यालय में I.T. Expert, MIS Expert, Monitoring & Evaluation Expert एवं H.R.M.S. Expert नहीं रहने से इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। मिशन कार्यालय में I.T. Expert, MIS Expert, Monitoring & Evaluation Expert एवं H.R.M.S. Expert की सेवाएँ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त चारों कार्यक्रमों के आँकड़ों का नियमित विश्लेषण किया जा सकेगा। इन चारों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को उन्नत बनाने में परामर्श एवं सहयोग प्राप्त होगा और सेवा प्रदायगी में और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेगा। ऐसे सेवा प्राप्त किए जाने वाले विशेषज्ञों को सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान गैर वेतन मद की राशि से भुगतान किया जा सकेगा।

अत: सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली एवं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के क्रियान्वयन को उन्नत बनाने एवं ससमय सेवाओं को प्रदायगी में और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बिहार विकास मिशन के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में I.T. Expert, MIS Expert, Monitoring & Evaluation Expert एवं H.R.M.S. Expert की सेवाएं प्राप्त किए जाने की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-05

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नये पैनल का निर्माण किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या-PR No.-4946(Ni.Ni.) 2017-18 दिनांक-29.07.2017 द्वारा आई॰टी॰ प्रबंधकों के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में निर्मित पैनल की वैधता की अवधि के बिन्दु पर शासी परिषद की 26वीं बैठक के कार्यावली बिंदु संख्या-05 अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन आई॰टी॰ प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल की वैधता अवधि को कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता के अनुरूप, अन्तिम रूप से प्रकाशित पैनल के प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष किये जाने पर शासी परिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी है ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई॰टी॰ प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल का अन्तिम प्रकाशन दिनांक-08.11.2017 को किया गया। वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई॰टी॰ प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल की वैधता समाप्त हो चुकी है। उक्त पैनल में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई॰टी॰ प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन के उपरान्त पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों की कोटिवार स्थिति निम्नवत है:-

क्र.सं.	श्रेणी	कुल संख्या	पुरूष	महिला
1	गैर आरक्षित	24	24	0 (शून्य)
2	अनुसूचित जाति	10	10	0 (शून्य)
3	अनुसूचित जन जाति	0 (शून्य)	0 (शून्य)	0 (शून्य)
4	पिछड़ा वर्ग	35	31	04
5	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	12	12	0 (शून्य)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई .टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए निम्न बिंदुओं को निर्धारित किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है । यह उल्लेखनीय है कि इस शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मुख्य मानदंडों पर मुख्य सचिव- सह -अध्यक्ष, शासी परिषद की स्वीकृति पूर्व में दिनांक 26.07.2017 को प्राप्त है।

1. **शैक्षणिक योग्यता:-** B.Tech.(Computer Science/IT)/B.E. (Computer Science/IT)/ MCA from any Government recognized University/ Institute approved by AICTE.

2. **आयु सीमा:-**

Age	UR (General)	SC	ST	EBC	BC	Female (UR)
Minimum	21	21	21	21	21	21
Maximum	37	42	42	40	40	40

अभ्यार्थियों के उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.01.2021 के आधार पर की जायेगी ।
विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट देय होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता का अद्यतन प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा ।

3. **मानदेय:-** पैनल से IT Manager के संविदात्मक पद पर नियोजित अभ्यर्थी को मानदेय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 के आलोक में देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी। भुगतान पर कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर एवं अन्य वैधानिक अनुमान्य कटौतियाँ की जाएगी।

4. **नियोजन अवधि:-** बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत पैनल से संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत आई.टी. प्रबंधकों का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा योजना अवधि समाप्ति अथवा 60 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक के लिये है। संविदात्मक नियोजन की राज्य सरकार की अन्य शर्तें और नियम भी लागू होंगे।

5. **चयन का आधार:-** चयन का आधार 2018/2019/2020 (जो अधिकतम स्कोर हो) का Gate Score (Computer Science and Information Technology) होगा।

6. **आरक्षण**:- नियोजन में बिहार राज्य सरकार के द्वारा नियत आरक्षण के सभी प्रावधान लागू होंगे।

7. **आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया:-** आवेदन मिशन के वेबसाईट ***www.bpsm.bih.nic.in*** पर उपलब्ध रहेगा, जिसे ***Online*** भरा जायेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन फोटो एवं वांछित कागजात अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजातों/ दस्तावेजों की मूल प्रति काउन्सेलिंग (counselling) के समय प्रस्तुत करना होगा।

8. एक अभ्यर्थी अधिकतम एक ही आवेदन दे सकते हैं। एक से अधिक आवेदन देने पर उनके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. पैनल की वैधता अवधि उसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की होगी, परन्तु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये चयन प्रक्रिया या अंतिम प्रकाशित पैनल को किसी भी समय रद्द कर दे। पैनल में किसी व्यक्ति का नाम शामिल हो जाने मात्र से उनके नियोजन की बाध्यता नहीं होगी।

वर्तमान की रिक्तियों को भरने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के आलोक में नए पैनल निर्माण की जरुरत है। अतः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नये पैनल का निर्माण किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु-06

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायक के जिलास्तरीय पैनल से अन्य कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त किये जाने की स्थिति में उनके पुनर्नियोजन की दिशा में कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा किए जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

शासी परिषद की दिनांक-24.05.2018 की बैठक के कार्यावली बिन्दु-03 अंतर्गत नियोजन मुक्त आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पुनर्नियोजन के संबंध में निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-909, दिनांक-02.07.2018 द्वारा विस्तृत दिशा निदेश निर्गत किया गया।

शासी परिषद की 23वीं बैठक में कार्यपालक सहायकों के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदो के विरूद्ध रिक्तियां होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रॉन से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जायेगा।

विदित हो कि पत्रांक-909, दिनांक-02.07.2018 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निदेश में पुनर्नियोजन के पैनल की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी थी। शासी परिषद की 23वीं बैठक के निर्णय के लागू होने से पुनर्नियोजन के पैनल निष्प्रभावी हो गये। वर्तमान में पुनर्नियोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

विदित है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका-1 (क) के बिंदु-1 में यह उल्लेख है कि कई बार सम्भव है कि संविदा पद/पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आवश्यकता उस विभाग में जहाँ वे कार्यरत हैं, नहीं है। लेकिन अन्य विभाग में उसी पदनाम एवं उसी योग्यता के पद रिक्त है एवं उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उन पद/पदों पर नयी नियुक्ति नहीं कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों, जिनकी अब उस विभाग में जरूरत नहीं रह गयी है, अन्य विभाग में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए संबंधित विभाग के साथ नये सिरे से एकरारनामा करना होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान्य नहीं होगी जो अनुशासनिक कारण से हटाये गये हैं।

यह उल्लेखनीय है कि बेल्ट्रॉन से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवाएं नहीं मिल पाने से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज्य विभाग के महत्वपूर्ण विभागीय कार्य बाधित होने के दृष्टिगत अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायकों के पैनल विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में सशर्त नियोजन की अनुमति दी गयी जिसमें यह प्रावधान किया गया कि नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जायेगा। यह नियोजन मात्र तीन माह के लिये किया जाना था तथा यह प्रावधान किया गया था कि इस समय सीमा के अंतर्गत अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा मे अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा। उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकता अनुसार तीन माह के उपरांत जारी रखा जा सकता है, परंतु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा। कोविड-19 तथा निर्वाचन आदि के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायको की नियोजन की अवधि का विस्तार 26वीं बैठक के द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक एवं पुनः दिनांक-30.06.2021 तक किया गया है।

बेल्ट्रॉन के द्वारा दिनांक-08.01.2021 को सूचित किया गया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता परीक्षीत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की उपलब्धता है तथा अधियाचनाओं के विरूद्ध नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। अब आगे कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाना है।

उपरोक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से अब पुनर्नियोजन हेतु कोई नीति नहीं बनाई जा सकती है। चूंकि नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाएगी, अतः उक्त क्रम में अपेक्षित है कि पुनर्नियोजन की कार्रवाई भी बेल्ट्रॉन के द्वारा की जाए । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत कार्यपालक सहायक

के जिलास्तरीय पैनल से नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर) किए जाने की स्थिति में ऐसे नियोजनमुक्त हुए कार्यपालक सहायक, जिनकी शैक्षणिक योग्यता बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर (DEO) के समान हो, द्वारा अपने शुल्क पर बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करनी होगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बेल्ट्रॉन के वर्तमान पैनल में, पूर्व से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के क्रम के नीचे रखा जाएगा। पैनल में शामिल होने तथा नियोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा एवं विशेष योग्यता की शर्तों में क्षांति के संबंध में बेल्ट्रॉन के द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा। तदनुसार अलग से बेल्ट्रॉन द्वारा विस्तृत दिशा निदेश परिचारित किया जाएगा ।

अत: बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत कार्यपालक सहायक के जिलास्तरीय पैनल से नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर) किये जाने की स्थिति में उनके पुनर्नियोजन हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई किए जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय:-	स्वीकृत । **ऐसे अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में भी छूट प्रदान की जाए ।**

कार्यावली बिन्दु-07

शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-30.06.2021 तक किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।

शासी परिषद की 25वीं बैठक के निर्णय के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त नियोजन हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनके अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में शासी परिषद के 26वीं बैठक के द्वारा अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-31.12.2020 तक किया गया है। दिनांक 31.12.2020 तक दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकने के कारण अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों की नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक 30.06.2021 तक किए जाने की स्वीकृति मुख्य सचिव सह अध्यक्ष शासी परिषद से प्राप्त है। शेष शर्त यथावत रखे गए हैं। इस अवधि में इन नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा (जो बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा, परन्तु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

उपरोक्त वर्णित क्रम में अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों की नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-30.06.2021 तक किये जाने हेतु मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद से प्राप्त स्वीकृति पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	स्वीकृत ।

कार्यावली बिन्दु- 08

बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल, जिनकी वैधता की अवधि बची हुयी थी, में प्रतीक्षारत रह गये वैसे कार्यपालक सहायक जो बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के रूप में आवेदन देने हेतु निर्धारित अहर्ता रखते हैं, को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC-8379/2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अपने खर्च पर सम्मिलित होने हेतु अवसर दिये जाने तथा उत्तीर्ण होने पर बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

दिनांक 08.07.2019 की शासी परिषद की 23वीं बैठक में कार्यपालक सहायकों के नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित निर्णय हुआ है: -

"बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन बेल्ट्रान के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदो के विरूद्ध रिक्तियां होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रान से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रान द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रान द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रान को किया जायेगा।"

बेल्ट्रान द्वारा सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न करने में हो रहे विलंब तथा पंचायती राज विभाग के द्वारा अधियाचित कार्यपालक सहायकों की आवश्यकता के दृष्टिगत शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया कि यह नियोजन मात्र 3 माह के लिए होगा तथा उक्त अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को सूचना प्रावैधिकी विभाग अथवा बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा, जिसका स्तर बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 माह के उपरांत जारी रखा जा सकता है। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रान द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा।

कोविड-19 के संक्रमण तथा उक्त क्रम में लॉकडाउन आदि के कारण उक्त अवधि में दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किए जा सकने एवं अंतरिम व्यवस्था के तहत तीन माह के नियोजन अवधि के समाप्त होने की दृष्टिगत शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार आवश्यकतानुसार 31 दिसम्बर, 2020 तक किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन इस बंधेज के साथ 26वीं बैठक में प्राप्त है कि यदि बेल्ट्रान द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक-31.12.2020 से पहले कर उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण रहने पर ही नियोजन अवधि का आगे विस्तार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। शेष शर्त यथावत रहेंगे । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इस दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए अभ्यर्थियों (अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायक) का पूर्ण विवरण बेल्ट्रान को उपलब्ध कराएगा।

बेल्ट्रान द्वारा सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तथा कई जिलों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निदेश के आधार पर तैयार किए गए कार्यपालक सहायकों का पैनल समाप्त हो जाने अथवा पैनल की वैधता की अवधि समाप्त हो जाने और उक्त कारणों से कतिपय जिलों में कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर नियोजन नहीं होने से पंचायती राज विभाग का कार्य कुप्रभावित होने तथा उक्त क्रम में पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनुरोध के आलोक में कार्य हित में शासी परिषद की 27वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वैसे जिले जहां कार्यपालक सहायक का पैनल समाप्त हो गया है अथवा

पैनल की वैधता समाप्त हो चुकी है, वहाँ अंतरिम व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती दूसरे जिले, जहां कार्यपालक सहायक का वैध पैनल उपलब्ध हो, से कार्यपालक सहायकों की सेवाएं आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन हेतु प्राप्त की जा सकेगी। अंतरिम व्यवस्था के तहत किए जा रहे नियोजन की अन्य शर्तें इन नियोजनों पर भी लागू रहेंगी। बेल्ट्रान से डाटा इंट्री ऑपरेटर के सूचीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त ही यह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाएगी।

बेल्ट्रान के पत्रांक MP–03/21, दिनांक-08.01.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में बेल्ट्रान के पास पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता परीक्षित डाटा इंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता है तथा अधियाचनाओं के विरुद्ध अभिनियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संप्रति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत लागू अंतरिम नियोजन व्यवस्था स्वत: समाप्त हो गई है।

सिविल रिट याचिका संख्या-8379/2020 श्री रविराज एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.10.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है-

"Heard learned counsel for the petitioners and learned counsel for the State respondent.

Learned counsel for the petitioners submit that they participated in the process of selection for contractual appointment of Executive Assistants pursuant to the District advertisement issued on 10.08.2018. The same contemplated preparation of a panel from which the Executive Assistants were to be appointed on contractual basis as per requirement up till 20.10.2020.

The State has taken a policy decision that now the selection shall be done by the Beltron centrally and also to enforce and ensure that candidates, who were selected, have cleared the Examination of Data Entry Operator conducted by the Beltron. It is submitted that the petitioners are willing to better their qualifications by clearing the Examination of Data Entry Operator, and as such, their claim for appointment from the panel prepared pursuant to the District Advertisement dated 10.08.2018 may be considered subject to their acquiring the said qualification.

Learned State counsel has submitted that the change in policy was required for administrative efficiency. The advertisement itself contemplated that the process of selection could be cancelled and abandoned altogether at any point of time. The petitioners are not in position to assert that irrespective of the State Government's policy decision for better administration based on more qualified candidates, those who are less qualified must be selected as Executive Assistants and placed at par with Data Entry Operators, who are more qualified.Considering the rival submissions, this Court would observe that the prayer of the petitioners for being selected subject to their acquiring higher qualifications may be considered by the Principal Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna, (Respondent no.1).

The petitioners' counsel submits that the petitioners would be approaching the respondent no.1 with such claim by making a detailed representation within a period of three (03) weeks from today. In the event such an application/ representation is made, needless to say, that the respondent no.1 would be legally obliged to consider the same and dispose it off by a reasoned and speaking order within a period of six (06) weeks, thereafter.

The writ petition stands disposed off in the aforesaid terms."

उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में 30 याचिकाकर्ता द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय में दिनांक-06.11.2020 को अभ्यावेदन दाखिल किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक-19.01.2021 को की गयी है।

विदित हो कि याचिककर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध LPA -13/2021 दायर किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूर्वी चंपारण जिला में अगले आदेश तक कार्यपालक सहायक/ डाटा इंट्री ऑपरेटर के 30 पदों को नहीं भरे जाने का आदेश दिनांक 22.01.2021 को पारित किया गया है। LPA पर अगली सुनवाई दिनांक 18.02.2021 को निर्धारित है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या-8379/2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रस्ताव है कि:-

1. बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल जिनकी वैधता अवधि शेष थी, में प्रतीक्षारत रह गये वैसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अन्यून है, को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अपने खर्च पर सम्मिलित होने हेतु अवसर दिया जाए। इनके मामले में कंप्यूटर कोर्स की विशेष योग्यता को एक बार के लिए क्षांत किया जाएगा।
2. दक्षता परीक्षा में सफल इन अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के द्वारा वर्तमान में सूचीकरण किए गए डाटा इंट्री ऑपरेटर के पैनल में पूर्व से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत कार्यपालक सहायक के जिलास्तरीय पैनल से नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर) किए गए कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा रखे जाने, के क्रम के पश्चात शामिल कर लिया जाय।
3. तत्पश्चात इनके नियोजन के लिए वही शर्तें प्रभावी होंगी, जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के लिए है।
4. इन अभ्यर्थियों हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन किए जाने का अनुरोध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन में संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-	**स्वीकृत ।** **बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल होने का एक अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा में भी छूट प्रदान की जाए ।**

कार्यावली बिन्दु- 09

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत वर्ग-1 तथा वर्ग -2 के कार्यपालक सहायक को उच्चतर मानदेय के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए बेल्ट्रॉन से राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा का आहूत करने का अनुरोध किए जाने तथा उसमें शामिल होने वाले कार्यपालक सहायकों द्वारा परीक्षा शुल्क का वहन किए जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक-21.10.2018 की बैठक में कार्यपालक सहायकों का दो वर्ग कार्यपालक सहायक वर्ग-1 एवं कार्यपालक सहायक वर्ग-2 का निर्धारण किया गया है। साथ में यह भी निर्णय हुआ है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। ऐसे कर्मी जो बेल्ट्रॉन अथवा सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है को कार्यपालक सहायक (दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग) में शामिल करते हुये उनके मानदेय का निर्धारण कार्यपालक सहायक (दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण) के मानदेय के अनुसार किया जायेगा। दक्षता परीक्षा का आयोजन बैच वार किया जायेगा तथा इसमें शामिल होने के लिये संविदा पर कार्यरत अवधि के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा स्पष्ट नहीं होने तथा अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों के मामले में दक्षता परीक्षा के शुल्क का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा किये जाने के निर्णय के आलोक में इस बिन्दु पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक-21.10.2018 की बैठक में लिए गए उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन के लिए बेल्ट्रॉन से राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा आहूत करने का अनुरोध किए जाने तथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होकर कार्यपालक सहायक (दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण) का उच्चतर मानदेय प्राप्त करने के लिए, उसमें शामिल होने वाले कार्यपालक सहायकों द्वारा परीक्षा शुल्क का वहन स्वयं किए जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णयः-	**स्वीकृत ।**

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई ।

ह./-
(राजेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि

ह./-
(फूल चन्द्र चौधरी)
सचिव, विधि विभाग

ह./-
(डॉ.प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सो.

ह./-
(संतोष कुमार मल्ल)
सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग –
सह- प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन

ह./-
(चंचल कुमार)
मिशन निदेशक-सह-
प्रधान सचिव, सा. प्र. विभाग

ह./-
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- **321,** दिनांक-**11.02.2021**
प्रतिलिपिः- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ सचिव, विधि विभाग, बिहार को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- **321,** दिनांक-**11.02.2021**
प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मिशन निदेशक